# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

## पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-टि.ए.39/2020
पंजीयन दिनांक 25.11.2020

(1). धन्ना पिता गोमा जाति गाडरी निवासी पाण्डोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). हाबू पिता गोमा जाति गाडरी निवासी पाण्डोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3). फूली पिता गोमा जाति गाडरी निवासी पाण्डोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). नारायण पिता बंशीलाल जाति धोबी निवासी आशापुरा नगर, कीर खेड़ा चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). रेखा पत्नि मदन धोबी निवासी आशापुरा नगर, कीर खेड़ा चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3). सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 396/2017 निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.06.2018

उपस्थित वक्त बहस-(1). भगवतीलाल मेनारिया -अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). चम्पालाल जाट-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
(3). पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3

**निर्णय** **दिनांक 27.10.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि मौजा पाण्डोली तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 980 रकबा 0.23 हैक्टेयर मे प्रार्थी नारायण का 24/52 एवं रतन पिता छीतर का 2/52 एवं शेष 1/2 हिस्सा राजु, भेरी, देउ पिता नाराण व संतोष बाई बेवा नाराण ,राजू माता संतोष बाई की खातेदारी मे दर्ज है। रतन ने स्वयं के निहित 2/52 हिस्से को प्रार्थीया संख्या 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्ट को विक्रय कर दिया है तथा इस समय प्रार्थीया संख्या 2 रेस्पोडेन्ट जो रतन के द्वारा विक्रय किये गए हिस्से की खातेदार हो चुकी है। इसी प्रकार आराजी संख्या 1405, 1406 प्रार्थीया संख्या 2 रेस्पोडेन्ट की खातेदारी मे 1/2 हक हिस्से से दर्ज है। तत्पश्चात रतन पिता छीतर का 1/2 हिस्से मे से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने 12/52 हिस्सा क्रय किया तत्पश्चात पुनः शेष 12/52 हिस्सा क्रय किया व शेष बचा हुआ 2/52 हिस्सा भी प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा क्रय किया गया। इस प्रकार आराजी संख्या 1405, 1406 का प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2सहखातेदार है एवं इन्ही आराजीयात से लगी आराजी संख्या 1407, 1408, 1410, 1411, 1412 मे भी प्रार्थीगण रेस्पोन्ट संख्या 1 व 2 अन्य पक्षकारान के साथ सहखातेदार है। आराजी संख्या 980 एवं आराजी संख्या 963 के मध्य आराजी संख्या 964 रकबा 0.13 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण आम रास्ते से अपनी आराजी संख्या 980 की पूर्वी पाली पर होकर विपक्षी संख्या 1 से 4 तक की सह खातेदारी की आराजी संख्या 964 पर होकर आराजी संख्या 963, 1405, 1406, 1407, 1408 पर पहुंचते है। आराजी संख्या 980 विपक्षी संख्या 1 अपीलांट के खातेदारी की है। विपक्षीगण संख्या 2 से 4 महिलाएं होकर सहखातेदार है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 963, 1405, 1406 पर पहुंचने का एक मात्र रास्ता है। विपक्षीगण अपीलांट्गण की आराजी संख्या 964 की पूर्वी मेड पर 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। यह रास्ता विपक्षीगण अपीलांट्गण की आराजी संख्या 964 पर 40 फीट लम्बा होकर मात्र 800 वर्गफीट ही है। यही एकमात्र लघुतम रास्ता है एवं प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमि के उपयोग-उपभोग हेतु आत्यांतिक आवश्कता का रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। रास्ता नजरी नक्शे के अनुसार है। विपक्षीगण अपीलांट्गण को होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु न्यायालय उचित प्रतिकर तय करे तो यह प्रतिकर विपक्षीगण अपीलांट्गण को अदा करने को तैयार है। अन्त मे मौजा पाण्डोली तहसील चित्तौड़गढ की आराजी संख्या 964 रकबा 0.13 हैक्टेयर की पूर्वी मेड पर 20 फीट चौड़ा व 40 फीट लम्बा अर्थात 800 वर्गफीट रास्ता नजरी नक्शे अनुसार कायम किया जाकर उचित प्रतिकर तय कर विपक्षीगण अपीलांट्गण को दिलाये जाने का निवेदन किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट्गण 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट्गण की आराजीयात पर आने-जाने हेतु रास्ते के संबंध मे मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया गया। दिनांक 26.06.2018 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट पाण्डोली मे रखी जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण 1 व 2 द्वारा वांछित रास्ता विपक्षीगण अपीलांट्गण की आराजी संख्या 964 मे स्थित होना मानकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी सख्या 964 मे रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण 1 व 2 प्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण अपीलांट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया व तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की कृषि आराजीयात पर आने-जाने हेतु रास्ते के संबंध मे मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया गया परन्तु अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 की तामील कराये बिना ही रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ही विपक्षीगण संख्या 1 से 3 अपीलांट्गण की आराजीयात मे से रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही पत्रावली लोक अदालत कैम्प पाण्डोली मे रखी जाकर अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 की बिना जानकारी व बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के एकपक्षीय बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

किया है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही सह खातेदार विपक्षी संख्या 4 उदीबाई बेवा गोमा की मृत्यु प्रार्थना-पत्र के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 17.02.2017 को हो चुकी थी जिसके विरुद्ध अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व आदेश पारित किया गया है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश शून्य होकर निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे ऐसा कोई लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उनकी आराजीयात पर सुविधाजनक व लघुतम रास्ता मौके पर होना आत्यांतिक आवश्यक हो। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलांट्गण विपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है, जो अवैधानिक है । अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्गण प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट्गण प्रार्थीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट्गण विपक्षीगण के विरुद्ध अपनी खातेदारी की कृषि आराजीयात पर आने-जाने के लिए आराजी संख्या 964 की मेड़ पर रास्ता होना बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट्गण विपक्षीगण के सम्मन नोटिस जारी किये। बावजूद सूचना अपीलांट्गण विपक्षीगण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट ली जाकर आराजी संख्या 964 की मेढ़ वर 20 गुणा 40 वर्गफीट का रास्ता आत्यांतिक आवश्यक होने की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज, मौका रिपोर्ट का परीक्षण किया जाकर रेस्पोडेन्ट्गण प्रार्थीगण का आराजी संख्या 964 की मेढ़ पर रास्ता होना आत्यांतिक व लघुतम होना मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। उक्त प्रार्थना पत्र मे विपक्षी सख्या 4 उदीबाई का स्वर्गवास हो चुका था। उदीबाई के वारिस अपीलांट्गण संख्या 1 से 3 विपक्षीगण ही होकर पूर्व से ही रेकॉर्ड पर होने से विपक्षी संख्या 4 की नामकायमी कराया जाना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं था। अपीलांट्गण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलांट्गण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

ने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की कृषि आराजियात पर आने जाने हेतु रास्ता कायम किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादित अराजियात पर आने जाने का रास्ता चाहने की मौके की स्थिति तलब की आराजी नम्बर 964 के दक्षिण दिशा में रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की कृषि आराजियात अवस्थित है बीच में आराजी नम्बर 964 अवस्थित है आराजी नम्बर 964 की पूर्वी मेड पर रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 प्राथीगण ने रास्ते की मांग की गयी है जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तहसीलदार चित्तौडगढ से रिपोर्ट तलब की गयी जिसमें स्पष्ट किया गया कि आराजी नम्बर 963 च आराजी नम्बर 1405 जो रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण के खातेदारी की है व उकत कृषि आराजियात पर आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससे रेस्पोडेन्गण प्रार्थीगण की कृषि आराजियात पर आने जाने हेतु विपक्षीगण अपीलांट्गण की आराजी नम्बर 964 की पूर्वी मेड पर रास्ता दिया जाना लघुत्तम व सुगमतंम रहता है उसी अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट्गण विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 964 में से मौका रिपोर्ट के अनुसार 0.0150 है0 भूमि रास्ते के रूप में दिलाये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश विधिसंमत होकर अपीलांट्गण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य है ।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण विपक्षीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ प्रकरण संख्या 396/2017 निर्णय व आदेश दिनांक 26.6.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर कम हो । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लोटाई जावें ।

( हरसिंह मीना )
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी

चित्तौडगढ